

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.**

This is to certify that _____ son/
daughter of _____ of village
_____ District/Division
_____ in the _____
State _____ belongs to the _____ Community
which is recognized as a backward class under:

- i) Resolution No.12011/68/93-BCC dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – Part I, Section-I, No.186 dated 13th September, 1993.
- ii) Resolution No.12011/9/94-BCC, dated 19-10-1994 published in Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 163, dated 20th October, 1994.
- iii) Resolution No.12011/7/95-BCC dated the 24th May 1995 Published in the Gazette of India extraordinary Part-I Section I No.88 dated 25th May, 1995.
- iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996.
- v) Resolution No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, Published in the Gazette of India –Extraordinary-part I, Section-I, No.210, dated the 11th December, 1996.
- vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997.
- vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.
- viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999.
- ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No.270, 6th December, 1999.
- x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No 71, dated 4th April,2000.
- xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21-09-2000, published in the gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-I, No.210 dated 21-09-2000.

Shri / Smt./ Km. _____ and / or his family ordinarily
reside(s) in the _____ District/ Division of the
_____ State.

This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections(Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the G.O.I. Department of Personnel & Training OM No.3601222/93-Estt.(SCT.) dated 8-9-1993 and modified vide the GOI, DOPT's O.M.No.-36033/3/2004 EST(Res) dated 9-3-2004.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:-
Seal:-

Note:- (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:-

- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taulka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.

SPECIMEN INTERVIEW LETTER



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली-2
(Website: www.esic.nic.in)

संख्या-12/16/6/2008-परीक्षा (भाग-1)

दिनांक:

सेवा में

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, _____ में _____ के
पद पर साक्षात्कार हेतु ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त पद हेतु आपके आवेदन पत्र के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्थान, तिथि एवं समय पर साक्षात्कार के लिए भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे ।

1. स्थान : _____
2. तिथि : _____
3. समय : 09.00 (पूर्वाह्न)

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार वह जिस पद हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहे हैं, की पात्रता पूर्ण करते हैं । अभ्यर्थी जो कि संबंधित पद की पात्रता पूर्ण नहीं कर पायेंगे उनको साक्षात्कार हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं अनुप्रमाणित प्रतियाँ भी साथ लावें ।

1. शैक्षिक योग्यता माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / स्नातक / उच्च स्नातक से संबंधित अकंतालिका एवं प्रमाण पत्र ।
2. संबंधित तकनीकी योग्यता - डिप्लोमा / डिग्री / प्रशिक्षण की अकंतालिका एवं प्रमाण पत्र ।
3. आयु / जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ।
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार के D.O.P.T. ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 EST- (Res) दिनांक 09.03.2004 के अनुबन्ध 'क' में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए । अ, पि, व, प्रमाण पत्र में कीमी लेयर की प्रमाणिकता पिछले एक वर्ष में प्रमाणित होनी चाहिए । यदि अ, पि, व, प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं किया गया तो उम्मीदवार को अ, पि, व, की रिक्तियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । शारिरिक रूप से विकलॉग उम्मीदवार राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी अपना विकलॉगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
5. अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो ।
6. एक नवीनतम फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
7. यदि पहले से ही किसी केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी / स्वायत्त संस्थान के अधीन कार्यरत है तो नियोजक द्वारा जारी नवीनतम अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

चूंकि मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आवश्यक है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि सभी मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अपने साथ लाएं अन्यथा आपको साक्षात्कार के लिए भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार जो कि बेरोजगार हैं, को दूसरी श्रेणी का मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी का सबसे छोटे रास्ते का दोनों तरफ का किराया देय होगा जो कि उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य पाए जाने एवं आवश्यक मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा ।

यह भी स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आपको साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजने का यह मतलब नहीं है कि आपका संबंधित पद के लिए चयन कर लिया जाएगा । आपका चयन आपके साक्षात्कार में प्रदर्शन और इस तथ्य पर की आप न्यूनतम योग्यता / अनुभव रखते हैं तथा पद के लिए रखी गई अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूर्ण करते हैं, पर किया जायेगा । यदि नियुक्ति हेतु आपका चयन होता है और आप केन्द्रीय सरकार / कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले से ही कार्यरत है तो आपका प्रारम्भिक वेतन इस संबंध में व्याप्त नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

कृपया इस पत्र को साक्षात्कार के समय अपने साथ लायें ।

कृपया यह भी नोट कर लें कि साक्षात्कार के स्थान, तिथि एवं समय के परिवर्तन हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

चेतावनी:- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी भी प्रकार की सिफारिश करवाने अथवा प्रभाव डालने पर अभ्यर्थी को पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

भवदीय,

सयुक्त निदेशक (भर्ती)